**भारत सरकार**

**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं0 1339**

**09 फरवरी, 2023 को उत्तर के लिए**

**प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना का कार्यान्वयन**

**1339. श्री धनुष एम. कुमार:**
**श्रीमती मंजुलता मंडल:**
**श्री जी. सेल्वम:**
**श्री सी. एन. अन्नादुरई:**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि) योजना को लागू करते समय सरकार को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार ने पीएम-स्वनिधि योजना का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) देश में विगत तीन वर्षों के दौरान पीएम-स्वनिधि योजना के अंतर्गत विशेषकर तमिलनाडु और ओडिशा में राज्य-वार विक्रेताओं को प्राप्त/स्वीकृत ऋण आवेदनों तथा विक्रेताओं को जारी अथवा संवितरित कुल ऋण आवेदनों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) निश्चित समय-सीमा के तहत विक्रेताओं दवारा चुकाई गई ऋणराशि का ब्यौरा क्या है;

(ड.) दिसंबर, 2023 तक उक्त योजना के अंतर्गत कुल कितने विक्रेताओं को लाभ प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है;

(च) क्या सरकार ने योजना के तहत निजी बैंकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और कुल स्वीकृतियों और संवितरण में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार दवारा अधिक से अधिक विक्रेताओं के वित्तीय समावेशन और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री**

**(श्री कौशल किशोर)**

(क) और (ख): प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना पथ विक्रेताओं को अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा के उद्देश्य से शुरू की गई थी। 31 जनवरी, 2023 तक इस योजना ने

33.45 लाख पथ विक्रेताओं को 4,827.55 करोड़ रु की राशि के 40.75 लाख ऋणों का सफलतापूर्वक संवितरण किया है।

(ग): प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त ऋण आवेदन, स्वीकृत और पथ विक्रेताओं को संवितरित ऋण आवेदनों की संख्या का तमिलनाडु और ओडिशा राज्य सहित राज्य और वर्षवार विवरण अनुलग्नक-I पर दिया गया है;

(घ): पीएम स्वनिधि योजना के तहत पथ विक्रेताओं द्वारा चुकाई गई ऋण राशि का राज्यवार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(ङ): पीएम स्वनिधि योजना के तहत पहले, दूसरे और तीसरे ऋण के लिए दिसंबर, 2024 तक क्रमशः 42 लाख, 12 लाख और 3 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(च): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) इस योजना के तहत अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों सहित ऋणदाता संस्थाओं के साथ संयुक्त और साथ ही अलग-अलग समीक्षा बैठकें नियमित रूप से आयोजित करते हैं।

(छ): पीएम स्वनिधि योजना शहरी क्षेत्रों में सभी पथ विक्रेताओं के लिए उपलब्ध करा दी गई है। इसके अतिरिक्त, योजना के तहत ऋण मार्च, 2022 से दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इससे अधिक से अधिक विक्रेताओं को योजना के दायरे में लाने में सहायता मिलेगी।

पीएम स्वनिधि योजना के तहत 'स्वनिधि से समृद्धि' घटक, 04 जनवरी, 2021 को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य लाभार्थियों के परिवारों के जीवन-स्तर में सुधार के लिए सुरक्षा जाल बनाना है।

इसका उद्देश्य लाभार्थी परिवारों को उनके समग्र विकास और सामाजिक-आर्थिक उत्थान को लक्षित करते हुए भारत सरकार की मौजूदा आठ कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। ये योजनाएं हैं- पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जन धन योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, भवन निर्माण और अन्य निर्माण कामगार के तहत पंजीकरण, जननी सुरक्षा योजना और पीएम मातृ वंदना योजना।

*****

**09 फरवरी, 2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1339 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I पीएम स्वनिधि योजना के तहत प्राप्त ऋण आवेदनों की संख्या, स्वीकृत और पथ विक्रेताओं को संवितरित ऋण राशि का राज्य और वर्षवार विवरण |**

**(31.01.2023 तक)**

| क्र.सं. | राज्य का नाम | प्राप्त पात्र ऋण आवेदन | | | स्वीकृत ऋण | | | संवितरित ऋण राशि (करोड़ रुपये में।) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | वित्त वर्ष 2020- 21 | वित्त वर्ष 2021- 22 | वित्त वर्ष 2022- 23 | वित्त वर्ष 2020- 21 | वित्त वर्ष 2021- 22 | वित्त वर्ष 2022- 23 | वित्त वर्ष 2020-21 | वित्त वर्ष 2021-22 | वित्त वर्ष 2022-23 |
| 1 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 429 | 205 | 256 | 395 | 141 | 241 | 0.39 | 0.20 | 0.32 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 1,49,458 | 1,05,616 | 83,781 | 1,17,856 | 87,162 | 55,846 | 112.06 | 92.29 | 70.03 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 3,343 | 1,526 | 1,820 | 1,839 | 893 | 1,858 | 1.59 | 1.30 | 1.48 |
| 4 | असम | 24,410 | 58,109 | 20,144 | 15,816 | 47,186 | 19,735 | 14.12 | 44.42 | 20.78 |
| 5 | बिहार | 69,607 | 27,419 | 21,321 | 33,894 | 23,535 | 14,004 | 28.49 | 19.98 | 12.04 |
| 6 | चंडीगढ़ | 3,029 | 2,307 | 2,607 | 2,148 | 1,591 | 1,744 | 2.04 | 1.77 | 2.84 |
| 7 | छत्तीसगढ | 68,496 | 16,829 | 27,978 | 41,021 | 10,818 | 13,721 | 39.93 | 11.95 | 15.51 |
| 8 | दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली | 1,997 | 206 | 819 | 1,121 | 165 | 695 | 1.03 | 0.24 | 0.34 |
| 9 | दिल्ली | 47,248 | 22,660 | 62,405 | 33,069 | 12,094 | 38,947 | 30.95 | 11.51 | 28.34 |
| 10 | गोवा | 1,241 | 523 | 867 | 1,028 | 429 | 475 | 1.01 | 0.56 | 0.78 |
| 11 | गुजरात | 1,42,658 | 1,86,929 | 1,03,679 | 1,06,709 | 1,20,435 | 93,184 | 101.60 | 127.98 | 120.68 |
| 12 | हरियाणा | 30,962 | 23,204 | 16,686 | 17,807 | 15,534 | 11,687 | 16.78 | 13.66 | 15.66 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 3,246 | 1,389 | 2,503 | 2,812 | 1,242 | 1,826 | 2.76 | 1.88 | 3.50 |
| 14 | जम्मू और कश्मीर | 14,570 | 4,843 | 7,971 | 11,895 | 3,952 | 5,099 | 11.50 | 5.31 | 7.68 |
| 15 | झारखंड | 34,129 | 16,410 | 17,292 | 22,551 | 10,068 | 10,197 | 21.90 | 9.90 | 9.92 |
| 16 | कर्नाटक | 1,60,310 | 49,100 | 86,820 | 1,14,462 | 54,043 | 70,815 | 107.62 | 56.65 | 83.96 |
| 17 | केरल | 9,356 | 4,355 | 6,150 | 8,142 | 3,386 | 5,108 | 8.00 | 5.34 | 7.99 |
| 18 | लद्दाख | 271 | 102 | 260 | 249 | 78 | 217 | 0.25 | 0.13 | 0.38 |
| 19 | मध्य प्रदेश | 4,19,642 | 2,71,759 | 2,22,104 | 3,24,166 | 2,06,484 | 1,80,089 | 312.09 | 241.79 | 241.96 |
| 20 | महाराष्ट्र | 2,37,973 | 63,235 | 3,71,040 | 1,69,531 | 49,229 | 2,99,730 | 148.16 | 72.54 | 188.36 |
| 21 | मणिपुर | 14,456 | 2,225 | 3,734 | 6,773 | 1,880 | 3,082 | 6.09 | 2.60 | 2.16 |
| 22 | मेघालय | 346 | 430 | 1,189 | 266 | 394 | 962 | 0.25 | 0.41 | 0.88 |
| 23 | मिजोरम | 530 | 174 | 325 | 446 | 132 | 93 | 0.44 | 0.23 | 0.15 |
| 24 | नागालैंड | 1,811 | 802 | 868 | 1,214 | 465 | 589 | 1.20 | 0.63 | 0.59 |
| **25** | **ओडिशा** | **47,877** | **12,132** | **20,991** | **29,262** | **12,968** | **15,990** | **27.17** | **10.34** | **14.78** |
| 26 | पुदुचेरी | 1,435 | 373 | 661 | 1,202 | 169 | 617 | 1.13 | 0.34 | 0.78 |
| 27 | पंजाब | 67,019 | 20,216 | 24,080 | 29,474 | 12,619 | 12,706 | 26.43 | 13.64 | 15.67 |
| 28 | राजस्थान | 1,01,413 | 19,214 | 43,385 | 55,767 | 14,542 | 28,363 | 50.16 | 17.00 | 13.00 |
| 29 | सिक्किम | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | 0.00 | - |
| **30** | **तमिलनाडु** | **2,26,805** | **1,11,167** | **89,692** | **1,10,390** | **76,720** | **66,053** | **87.20** | **79.34** | **85.28** |
| 31 | तेलंगाना | 3,93,145 | 1,01,292 | 1,31,536 | 3,30,588 | 77,176 | 1,09,420 | 307.05 | 139.94 | 148.74 |
| 32 | त्रिपुरा | 3,663 | 1,117 | 1,491 | 2,622 | 1,123 | 995 | 2.59 | 0.93 | 1.00 |
| 33 | उत्तर प्रदेश | 6,86,244 | 1,81,711 | 4,32,436 | 5,94,358 | 2,15,358 | 3,13,215 | 555.24 | 247.98 | 415.44 |
| 34 | उत्तराखंड | 13,743 | 3,464 | 9,243 | 9,265 | 2,032 | 6,757 | 9.07 | 2.40 | 9.66 |
| 35 | पश्चिम बंगाल | 12,073 | 17,852 | 6,462 | 5,218 | 9,612 | 2,756 | 2.36 | 11.02 | 1.79 |
| **कुल** | | **29,92,938** | **13,28,895** | **18,22,598** | **22,03,356** | **10,73,656** | **13,86,816** | **2,038.65** | **1,246.21** | **1,542.48** |

**09 फरवरी, 2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1339 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II पीएम स्वनिधि योजना के तहत पथ विक्रेताओं द्वारा चुकाई गई ऋण राशि की संख्या दर्शाने वाला राज्यवार विवरण।**

**(31.01.2023 तक)**

| **क्र.सं.** | **राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम** | **चुकाए गए ऋण की राशि (करोड़ रुपये में)** |
|---|---|---|
| 1 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 0.40 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 100.27 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 1.91 |
| 4 | असम | 16.38 |
| 5 | बिहार | 22.15 |
| 6 | चंडीगढ़ | 2.52 |
| 7 | छत्तीसगढ | 27.08 |
| 8 | दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली | 0.84 |
| 9 | दिल्ली | 25.16 |
| 10 | गोवा | 1.07 |
| 11 | गुजरात | 100.04 |
| 12 | हरियाणा | 16.78 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 3.25 |
| 14 | जम्मू और कश्मीर | 9.36 |
| 15 | झारखंड | 16.41 |
| 16 | कर्नाटक | 86.34 |
| 17 | केरल | 7.90 |
| 18 | लद्दाख | 0.31 |
| 19 | मध्य प्रदेश | 227.78 |
| 20 | महाराष्ट्र | 110.06 |
| 21 | मणिपुर | 3.87 |
| 22 | मेघालय | 0.32 |
| 23 | मिजोरम | 0.41 |
| 24 | नागालैंड | 0.92 |
| 25 | ओडिशा | 23.17 |
| 26 | पुदुचेरी | 0.86 |
| 27 | पंजाब | 23.09 |
| 28 | राजस्थान | 39.50 |
| 29 | सिक्किम | - |
| 30 | तमिलनाडु | 88.63 |
| 31 | तेलंगाना | 217.91 |
| 32 | त्रिपुरा | 1.56 |
| 33 | उत्तर प्रदेश | 341.96 |
| 34 | उत्तराखंड | 7.75 |
| 35 | पश्चिम बंगाल | 3.21 |
| **कुल** | | **1,529.16** |

*****